भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000रु.

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062220

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु० 10,61,075/-

बाजारू मूल्य : रु० 8,40,200/-

स्टाम्प शुल्क : रु० 1,26,200/-

परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख [illegible] पुत्र [illegible], निवासी–ग्राम–यूसुफ नगर उर्फ [illegible], परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

[illegible], लखनऊ

[illegible] 1.5.[illegible]

फीस [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

रु० 1054075/-

[illegible]

[illegible] पुत्र/पत्नी [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

[illegible]

तारीख [illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय) [illegible]

लखनऊ

[illegible]

निष्पादन [illegible]

से प्राप्त [illegible]

पाकर [illegible]

स्वीकार किया [illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062221

- 2 -

जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् कमल किशोर पुत्र गोला, निवासी–बिलौपुर, निहारी, पोस्ट–नयागांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता सम्पत्ति चतुर्वार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 141 के अंतरा

[illegible], लखनऊ

.... 25-6-2010

विवाह ...... [illegible]

पुत्र .... [illegible] ...... नाम

पता .... [illegible]

द्वारा ....

[illegible] [illegible]

[illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

उप निबन्धक-प्रथम
लखनऊ
25-6-2010

[illegible]

उपरोक्त सब साक्षियों के निशान
अंगूठे मेरे सम्मुख लिए गये हैं।

(एस० के० श्रीवास्तव)
उप निबन्धक-प्रथम
लखनऊ
25-6-2010

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062222

संख्या-84अ रकबा 0.238 हेक्टेअर, खसरा संख्या-84ब रकबा 0.285 हेक्टेअर व खसरा संख्या-359 रकबा 0.249 हेक्टेअर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.772 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है, उक्त भूमि विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062223

को विरासत में मिली है उपरोक्त विक्रीत षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या–141 के आधार पर विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो चुका है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062224

कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062225

नही लिखा है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 062226

- २ -

प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 18,61,075/- (रुपया अट्ठारह लाख इकसठ हजार पचहत्तर मात्र) के प्रतिफल में, जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता

06AA 416085

यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को सदाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुशी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

73932

वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं

5000Rs.

NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

TRY. LKO. C

उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे, एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. R̊s 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

73931

स्वत्व से निकल जाने तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

73937

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे. क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर, गाजियाबाद, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.772 हेक्टेअर की मालियत रु0 8,49,200/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य

5000Rs.

72373

से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,86,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. R$ 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

723

TRY. LKO.

किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

613965

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 141 के खसरा संख्या–843 रकबा 0, 238 हेक्टेअर, खसरा संख्या–844 रकबा 0.285 हेक्टेअर व खसरा संख्या–359 रकबा 0.249 हेक्टेअर, कुल तीन किता व

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कुल रकबा 0.772 हेक्टेअर, स्थित ग्राम–युसुफ नगर उर्फ बनियामक, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

<u>खसरा नं0 843 व 844</u>

पूरब	: चक रोड
पश्चिम	: खसरा संख्या–83
उत्तर	: खसरा संख्या–85
दक्षिण	: खसरा संख्या–80 व 82

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 035900

खसरा नं० 359

पूरब	:	खसरा संख्या–310
पश्चिम	:	खसरा संख्या–260
उत्तर	:	खसरा संख्या–289 व 305
दक्षिण	:	खसरा संख्या–358

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु० 18,61,075/– (रुपया अट्ठारह लाख इकसठ हजार पचहत्तर मात्र) में से विक्रेता को पांच–पांच लाख के तीन चेक क्रमशः चेक सं० 459106, 459107, 459108 व रु० 3,61,075/– (रुपया तीन लाख इकसठ हजार पचहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या–459109 सभी चेक दिनांकित 23.06. 2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 23.06.2006

गवाह

1. [signature]

विक्रेता

2. [signature]

क्रेता

टाईपकर्ता
(अनीस शाह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

नक्शा - नजरी

ग्राम :- [illegible]
खसरा नं. :- ३५४
जिला :- [illegible]
[illegible] :- [illegible]

१०० मी. त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण

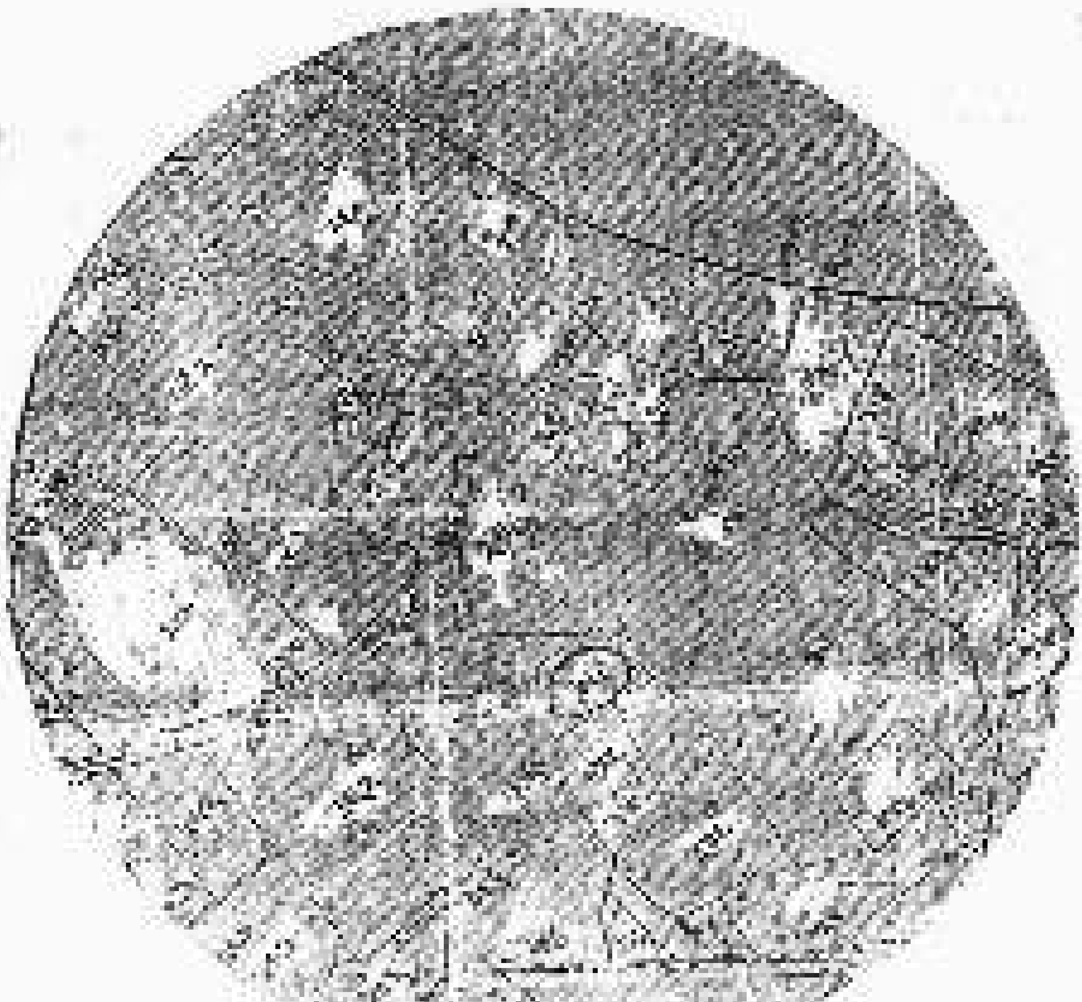

नक्शा - नजरी

स्थान :- [illegible]

खसरा नं. : [illegible]

विक्रेता :- [illegible]

क्रेता :- [illegible]

२०० मी. त्रिज्या के अन्दर स्थित [illegible] का विवरण.

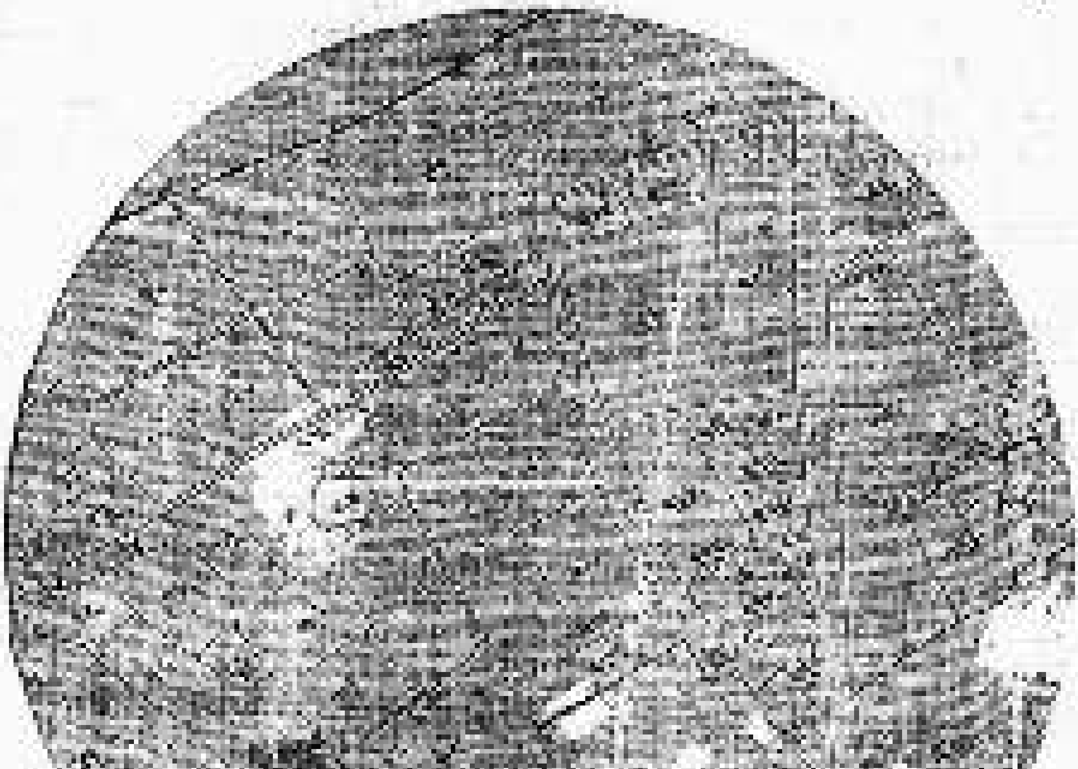

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

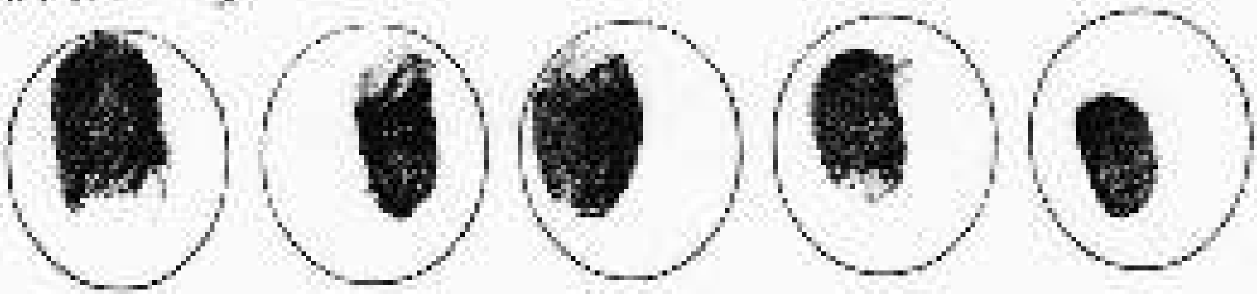

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

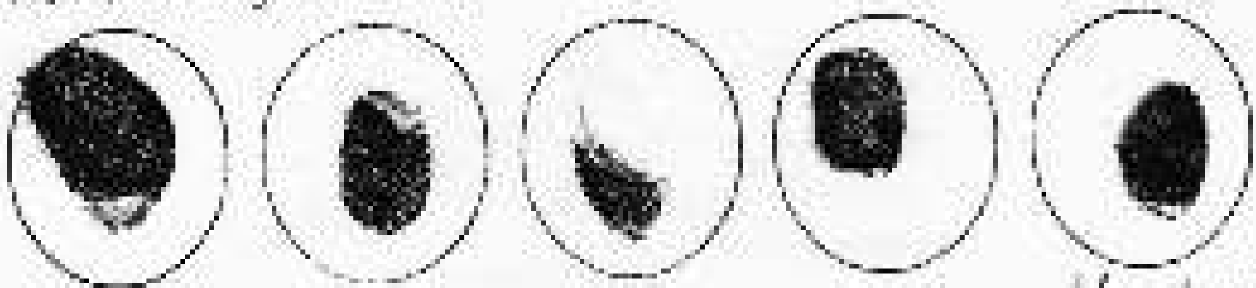

क्रेता/विक्रेता/गवाह के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

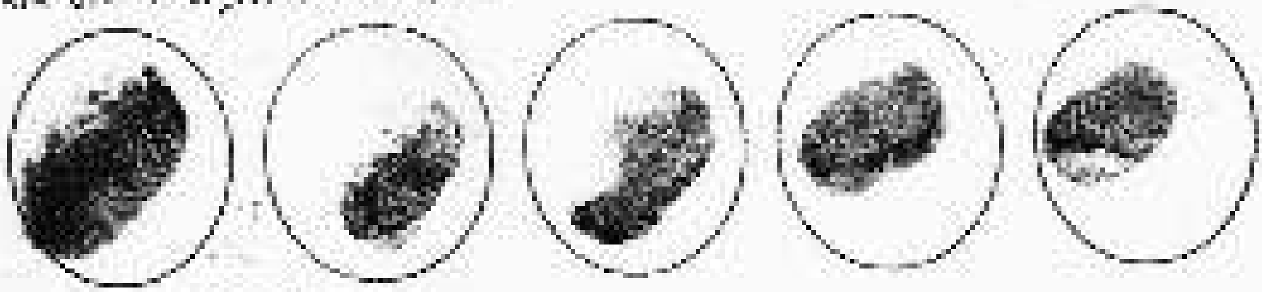

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दि० 24-6-22 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द 7662
पृष्ठ सं० 289/332 क्रमांक 5534
रजिस्ट्री कृत किया गया

(उप निबन्धक)
सदर निबन्धक–द्वितीय
लखनऊ